

जवाब काफ़ी दिनांक 8/5/19 को पेश
है।

8/5/19 पत्रावली पेश। वकील उमर फ़ारुख उपा
द्वारा कलकत्ता पत्रावली काफ़ी
दिनांक 14/6/19 को पेश है।

14/6/19 पत्रावली पेश। P. O. साहब अफ़्सा पर
है काफ़ी दिनांक 20/6/19 को पेश है।

20/6/19 पत्रावली पेश। वादी विनोद कुमार उपा
द्वारा का निन्ताण है।
इसलिए साहब का कोई कार्य
नहीं होने के कारण ही (नए पत्रावली) काफ़ी
दिनांक आता है पत्रावली निम्नानुसार दफ़्तर
दफ़्तर है नम्बर है।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़